राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	355/2015 ज्ञानचन्द / आमणमाता हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/3/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12/3/2018 को पेश हो।	
12/3/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त मे तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी रेस्पोन्डेन्ट-2 द्वारा उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष एक वाद बाबत बँटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि वादी मन्दिर जलमशाहूर आमण माता का ट्रस्ट है जिसकी समिति गठीत है एवं संजय आमोरिया उसके मन्त्री है। उक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है एवं हाल आराजी, ख० न० 277 रकबा 0.33 हे०, ख० न० 279/1 रकबा 0.06 हे०, कुल किता 2 रकबा 0.39 हैक्टयर ग्राम आमलोडा डूंडी तहसील विराटनगर स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम दर्ज है। वाद मे यह भी अंकित किया गया कि हाल आराजी ख० न० 279/2 रकबा 0.20 हे०, 282 रकबा 0.19 हे०, 284 रकबा 0.12 हे०, 285 रकबा 0.29 हे० कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 हैक्टयर वाके ग्राम आमलोडा डूंडी जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी सं० 1 लगायत 6 के पिता	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

आनन्द / आमलमाता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
355/2015	2	

स्वर्गीय धीसा व प्रतिवादी स. 7 लगायत 14 के नाम हिस्सा 1/4 व वादी के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता धीसा की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी स. 1 ता० 6 धीसा के विधिक वारिसान है। वाद मे यह भी अंकित किया गया कि वाद मे निम्मन नम्बर-2 मे वर्णित आराजी में अपने 1/2 हिस्से पर काबिज रह कर वादी काश्त करते आ रहे है एवं उक्त निम्मन नम्बर-2 मे वर्णित आराजीयात के संदर्भ मे वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसके तहत आराजी ख०-न 279/2 रकबा 0.20 है० ख०-न 282 रकबा 0.19 है०, कुल किता 2 रकबा 0.39 हैक्टयर वादी के हिस्से मे आई है एवं वादी बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने हिस्से मे आई आराजी पर बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं वादी ने अपने हिस्से में आई आराजी ख०-न 279/2 रकबा 0.20 हैक्टयर, ख०-न 282 रकबा 0.19 है० कुल रकबा 0.39 हैक्टयर भूमि पर काफी रुपये पैसे खर्च किये है तथा कई प्रकार के फलदार व किमती पेड लगाये है किन्तु अब

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गानचन्द / आमजमाती

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
355/2015	3	

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 एकराय होकर वादी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी उत्पन्न करने लगे है जिससे वाद प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प में उभयपक्षो की सुनवाई की गई एवं यह अंकित किया गया कि पक्षकारो का निवेदन रहा है कि वाद बँटवारे का है प्रकरण मे कुर्रेजात रिपोर्ट मंगाया जाना न्यायसंगत है उभयपक्षो के निवेदन पर राजस्व पेशकार व पटवारी हल्का को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 22/5/2015 को प्राप्त हुई तत पश्चात अधिनस्थ न्यायालय बहस वकुलाये सुनी जाकर वाद कान्तिम डिक्री किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गई।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का मन्डी जयपुर मे निवास करते है वे कभी ग्राम आमलोडा नहीं जाते है वे कभी ग्राम आमलोडा नहीं जाते ही नही है तो उनका प्रश्नगत आराजी

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
355/2015	सांवरमल वि. भंवरलाल आदि 4	

पर काश्त किये जाने का तथ्य असत्य है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प पालडी मे दिनांक 22/5/2015 को पत्रावली रखी गई, लेकिन इसकी कोई जानकारी अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 13 को नही दी गई, इस प्रकार राजस्व लोक अदालत में अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति मे वादी/प्रत्यर्थी सं.1 को सुना गया तथा पटवारी हल्का तथा पेशकार सरकार को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिन्होने उसी दिन कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मौके पर न तो हल्का पटवारी गया एवं न तो मौके पर जाकर मौके के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई। इस प्रकार फर्जी कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री करमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तकासमा के दावे मे कोई प्रारम्भिक डिक्री पारित नही की गई जो कि आवश्यक थी। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एव

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
355/2015	ज्ञानचन्द / आमजनता	5

डिक्री गैरकानूनी तरीके से पारित की गई है, जिसे निरस्त करवाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट-2 ने बहस के प्रारम्भ मे हमारा ध्यान वादी/रेस्पोन्डेन्ट-2 द्वारा प्रस्तुत वादी की ओर आकर्षित कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद स्पष्ट तथ्यो एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया, जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण को स्वीकार था। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय लोक अदालत के समक्ष प्रतिवादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से की जो अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकित है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट आने के पश्चात ही पक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया गया है, जिसे आज

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	355/2015 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शान्त्र / आमज माता

इस अपील के माध्यम् से अपीलार्थी नजर नहीं सकते, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृति के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई यह अपील अब चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक के पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीयों का अवलोकन किया।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी / रेस्पोडे-2 द्वारा वाद प्रथम बार दिनांक 04/3/2014 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29/4/2014 को प्रतिवादी संख्या 12 जो मौजूदा अपील मे अपीलार्थी है, उपस्थित हो गये एवं वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08/6/2015 तक लम्बित रहा किन्तु इस दरमियान प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब वाद प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही इस हेतु कोई समय चाहा गया, जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा वाद मे वर्णित तथ्यो के प्रति

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	355/2015 — ज्ञानचंद / ग्रामसमोता — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — 7	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी की मौन स्वीकृति थी। इसके अतिरिक्त वाद के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आराजी ख.न. 279/2, 282, 284, 285 के संदर्भ मे वादी/रेस्पोडे-2 का 1/2 हिस्सा अंकित है, जिसे प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा ना तो वाद मे न ही अपील के माध्यम से नकारा गया गया है। अत: प्रश्नगत आराजीयात के संदर्भ मे हिस्से के सम्बन्ध मे स्वत: सिद्ध वाद था, जिसमे प्रारम्भिक डिक्री एक प्राक्रिया मात्र कही जा सकती है, जिसकी कोई आवश्यकता अन्यथा नही रहती। जहाँ तक कुर्रेजात रिपोर्ट के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति का प्रश्न है, अपीलार्थी ने स्वयं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट मँगवाने की इस्तदुआ की है एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट आ जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	355/2015 मानचन्द / आमजनता हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बमुलाजे फरीकेन समाअत की जाकर बाद डिक्री किया है का तात्पर्य यही है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेबात रिपोर्ट पर भी पक्षकारान को सुना गया है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे इस अपील के स्तर पर कोई त्रुटी नही पाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08/6/2015 बहाल रखते हुये अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/3/2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर